

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./अध्ययन स्वीकृति/2015/3166 जयपुर,दिनांक: 12/7/18

—: आ दे श :-

निम्नलिखित पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा पत्राचार/स्वयंपाठी के रूप में उनके नाम के अंकित अध्ययन करने /प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति चाही है :-

क्र. सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	पदस्थापित स्थान	अध्ययन/ प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार जिसके लिए स्वीकृति चाही है
1	श्री सत्येन्द्र कुमार मीणा	पं.स.लाडपुरा (कोटा)	बी.एस.सी. (तृतीय वर्ष)
2	श्री नाहर सिंह	पं.स. निवाई (टोंक)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2018
3	श्री हितेन्द्र त्रिवेदी	पं.स.कुशलगढ (बांसवाडा)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2018
4	श्री शिवचन्द नायक	पं.स. लूणकरनसर (बीकानेर)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2018
5	श्री रवि शंकर सैनी	जिला परिषद सीकर हाल मुख्यालय जिला परिषद झुंझुनू	राजस्थान लोक सेवा द्वारा आयोग कॉलेज लेक्चरर (इतिहास) साक्षात्कार
6	श्री प्रहलाद राम बैरवा	पंचायत समिति टोंक	राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रथम ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 110 एवं कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के परिपत्र पं.9(5)(30)कार्मिक/ क-3/जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 में दी गई शर्तों के अधीन पत्राचार/स्वयंपाठी के माध्यम से इनके नाम के सम्मुख अंकित अध्ययन/ प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव
एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
6. आदेश पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव
एवं उपायुक्त